न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 53/2019

जीसीएमएस : 2019/00270

01. भवानी सिंह पुत्र श्री मदनसिंह जाति गुजर साकिन समेजा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डीशन एक्ट

तारीख रजू:– 27.08.2019

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री गुरप्रताप सिंह प्रार्थी अधि.।
2. राजपैरोकार सरकार अप्रार्थी।

––निर्णय–– दिनांक 04.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चालू जमाबन्दी चक 15 पीटीडी (बी) के खाता संख्या 19 के पं.नं. 273/342 के मु.नं. 8 के कि.नं. 1 से 3 सालम, 4/0.237, 5–6–9 ता 13 सालम–सालम, 7/0.111, 7/0.126, 8/0.246 14 ता 18 सालम–सालम, 19/0.127, 20/0.208, 20/0.025, 21/0.113, 21/0.115, 22/0.227, 23 ता 25 में 0.684 है. कुल 6.160 है. कमाण्ड व पं.नं. 273/343 के मु.नं. 9 के कि.नं. 1 ता 25 में 6.325 है. कुल 12.485 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि हैं। चालू जमाबन्दी के खाता संख्या 1 पं.नं. 273/342 के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 में प्रत्येक बीघा में 0.025 है. भूमि गैर मुमकिन रास्ता की 0.126 है. दर्ज है। उक्त स्वीकृत शुद्धा रास्ता मौके पर बंद है व काश्त हो रही है। उक्त मु.नं. 8 के कि.नं. 5–7–13–19–21 में स्टेट हाईवे रायसिंहनगर से अनूपगढ़ बना हुआ है जो चल रहा हैं। खातेदार प्रार्थी के मु.नं. 8 के कि.नं. 5 में रायसिंहनगर से अनूपगढ़ स्टेट हाई वे रोड़ बनी हुई है से रास्ता निकल कर समेजा ग्राम में प्रवेश होता है। जिस पर आवागमन चालू है तथा आवागमन बाबत कोई विवाद नहीं है। उक्त मुरब्बा के कि.नं. 25 में प्रार्थी का रिहायशी मकान बना हुआ हैं। इसी मकान के आगे क्रय–विक्रय सहकारी समिति समेजा का गोदाम बना हुआ है। यानि उक्त रास्ता आगे किसी सड़क को नहीं जोड़ता ना ही किसी अन्य के खेत में जाने का रास्ता है। यह रास्ता किसी के उपयोग उपभोग में नहीं आता है। इसलिए इस रास्ता को निरस्त करना न्यायोचित है। उक्त भूमि प्रार्थी के मुरब्बा में है। जो रास्ता से पूर्व प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि थी इसलिए रास्ता निरस्त कर रकबा रकबाराज घोषित किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि न्याय हित में चक 15 पीटीडी(बी) के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक बीघा में 0.025 यानि 0.126 [illegible] गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त कर रकबा राज घोषित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। तहसीलदार रायसिंहनगर ने सरकार की तरफ से अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1177 दिनांक [illegible].08.2024 से मुताबिक रिपोर्ट एवं फर्द मौका प्रार्थी भवानीसिंह ने चक 15 पीटीडी बी के पं.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

273/342 के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 का रास्ता आगे मु.नं. 7 व 6 से होते हुए चक 17 पीटीडी के मु.नं. 3–4–5 के रास्ते से जुड़ा है। चक 15 पीटीडी के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 मे स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौका पर बन्द है। इसी प्रकरण में प्रार्थी स्वयं द्वारा इस रास्ते पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 22.12.2008 को स्थगन पेश किया गया है। अतः उक्त स्वीकृतशुद्धा रास्ता खारिज किया जाना उचित नहीं है।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश होने पर प्रार्थी अधिवक्ता ने मौका रिर्पोट पर दिनांक 10.06.2025 को एतराज पेश किया। एतराज में अंकित बिन्दूओं के आधार पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन करने पर न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/2025/777 दिनांक 11.06.2025 से पुनः तहसीलदार रायसिंहनगर को एतराज में अंकित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए पत्र प्रेषित किया गया।

4. तहसीलदार रायसिंहनगर ने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/996 दिनांक 19.06.2025 अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट अनुसार चक 15 पीटीडी बी के मु.नं. 6–7–8 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं उक्त रास्ता चक 15 पीटीडीए के मु.नं. 9 में गै.मु. आबादी भूमि की फिरनी की सड़क को जोड़ता हैं। मु.नं. 8 में स्वीकृत गै.मु. रास्ता मौका पर बंद हैं क्योकि इसी मु.नं. 8 के कि.नं. 5–6–7–8–12–13–14–18 ता 22 में राष्ट्रीय राजमार्ग(भारतमाला) दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर चल रहा है उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग मु.नं. 6 व 7 में स्वीकृत गै.मु. रास्ता व आबादी भूमि की फिरनी से जुड़ा होने के कारण मु. नं. 8 में स्वीकृत गै.मु. रास्ता उपयोग में नहीं लिया जा रहा है उक्त रास्ते पर श्रीमान् जी का स्थाई स्थगन आदेश है। प्रार्थी अपने रकबे के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता को निरस्त करवाना चाहते है। उक्त रास्ता निरस्त किया जाता है तो ग्राम पंचायत समेजा को भी काई आपत्ति नहीं है। अतः चक 15 पीटीडीबी के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा स्वीकृत रास्ता उपयोग में नहीं लिया जाने के कारण निरस्त किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत समेजा के प्रशासक ने अवगत करवाया है कि मु.नं. 8 में भारतमाला (एन.एच. 911) कि.नं. 5 से 21 की ओर गुजर रही है मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 में गै.मु. रास्ता कटा है जो मौके पर बंद है बाहरी फिरनी मु.नं. 8 के कि.नं. 5 पर एन.एच. 911 को जोड़ती है। उक्त रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है उक्त रास्ते को निरस्त किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं हैं।

5. बहस एकपक्षीय प्रार्थी वकील की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया। मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025 है. यानि 0.126 है. गै.मु. रास्ता को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इसी के साथ तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट व ग्राम पंचायत समेजा के प्रशासक द्वारा रास्ता निरस्त [illegible] हुए, आरआरडी 1988 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/1[illegible] दौलतराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय [illegible] दृष्टान्त पेश किया और प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] कर [illegible] गै.मु. रास्ता को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस [illegible] गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पर प्रस्तावित नजरी नक्शा, ग्राम पंचायत समेजा द्वारा दिनांक 19.06.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट और आरआरडी 1988 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/1983 अनवान दौलतराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 27 सितम्बर 1988 के दृष्टान्त का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि रास्ता ग्राम पंचायत की बाहरी फिरनी को जोड़ने के लिए स्वीकृत था मौके पर मु.नं. 8 के कि.नं. 5 पर एन.एच. 911 से जुड़ती है। इसलिए उक्त रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं हैं अन्य किसी द्वारा गै.मु. रास्ता को निरस्त नहीं करने हेतु कोई आपत्ति पेश नहीं की है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 8(2) राज. कोलो कण्डीशन अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 15 पीटीडी (बी) के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 ता 25 के प्रत्येक में 0.025 यानि 0.126 है. गै. मु. रास्ता को निरस्त किया जाकर उक्त रकबा को रकबाराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। प्रकरण संख्या 118/2007 अनवान जगेशकंवर बनाम गुरचरणसिंह आदि में दिनांक 22.12.2008 को जारी स्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested